प्रेषक,   संख्या–1000/71–4–18–37/2015

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4   लखनऊ : दिनांक   जून, 2018

विषयः– निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एम0ई0–1/2018/2320 दिनांक 13.06.2018 एवं पत्र संख्या–एम0ई0–3/2018/2328 दिनांक 13.06.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– इस संबंध में उल्लेखनीय है कि उ0प्र0 निजी व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा–4(1) के अन्तर्गत निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेंण्टल कालेजों द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस/शुल्क निर्धारित किये जाने के संबंध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–4 की विज्ञप्ति संख्या–182/71–4–2018–37/2015 दिनांक 27.03.2018 द्वारा फीस नियमन के लिए समिति का गठन किया गया है।

3– उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा–10 (1) में शुल्क निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्ड निर्धारित किये गये हैः–

10–(1) समिति किसी सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली फीस को निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगी–

(एक) व्यावसायिक पाठ्यक्रम का स्वरूप
(दो) उपलब्ध अवसंरचना
(तीन) व्यावसायिक संस्था की उन्नति और उसके विकास के लिए आवश्यक समुचित बचत
(चार) प्रशासन एवं अनुरक्षण पर व्यय
(पॉच) संस्था के शैक्षणिक और गैर–शैक्षणिक कर्मचारियों पर व्यय
(छः) कोई अन्य सुसंगत कारक

(2) समिति कोई फीस निर्धारित करने के पूर्व संस्था को सुनवाई का अवसर देगी परन्तु, ऐसी कोई फीस जैसी समिति द्वारा निर्धारित की जाय मुनाफाखोरी या शिक्षा के वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी।

4– निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों द्वारा संचालित एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की फीस निर्धारित किये जाने हेतु प्रस्ताव/निर्धारित प्रारूप पर सूचना उपलब्ध कराने हेतु संबंधित कालेजों के चेयरमैन/प्रधानाचार्यो से महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण तथा सदस्य सचिव, फीस नियमन समिति द्वारा अनुरोध किया गया। उक्त के कम में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 13.06.2018 में यह उल्लेख किया गया है कि मुलायम सिंह यादव मेडिकल कालेज एण्ड हास्पिटल, मेरठ को शैक्षणिक सत्र

2018–19 हेतु एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम की 150 सीटों की प्रवेश क्षमता हेतु भारत सरकार की अनुमति प्राप्त हुई है, जिसके सन्दर्भ में संस्था से वर्तमान में फीस निर्धारण का प्रस्ताव उनके पत्र दिनांक 11.06.2018 द्वारा उपलब्ध कराया गया है। चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा यह अवगत कराया गया है कि चूंकि उक्त संस्था में प्रथम वर्ष पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना है ऐसी स्थिति में उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के आधार पर शुल्क निर्धारण की संस्तुति किया जाना सम्भव नहीं है। गत वर्षों में अपनायी गयी प्रकिया के आधार पर शुल्क निर्धारित किया जा सकता है।

5– फीस नियमन समिति द्वारा उ0प्र0 निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) अधिनियम 2006 की धारा–10 (2) के अन्तर्गत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये जाने के उद्देश्य से उक्त संस्था के प्रतिनिधि को समिति के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु दिनांक 15.06.2018 को आहूत बैठक में आमंत्रित किया गया।

6– फीस नियमन समिति की बैठक दिनांक 15.06.2018 के कार्यवृत्त में की गयी संस्तुतियों के आधार पर सम्यक् विचारोपरान्त मुलायम सिंह यादव मेडिकल कालेज एण्ड हॉस्पिटल हापुड़, मेरठ रोड, मेरठ के एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम हेतु (केवल एक वर्ष) शैक्षणिक सत्र 2018–19 के लिए रू0 9.095 लाख प्रति छात्र शुल्क निर्धारित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

7– उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क में छात्रावास शुल्क एवं जमानत की धनराशि को छोड़कर समस्त प्रकार के शुल्क सम्मिलित हैं। सम्बन्धित मेडिकल कालेज उपर्युक्तानुसार निर्धारित शुल्क से कम शुल्क लेने के लिए स्वतंत्र है।

8– उपरोक्तानुसार निर्धारित शुल्क की सूचना महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की अधिकृत वेबसाइट **http://upmededu.in** पर प्रदर्शित की जायेगी तथा संस्थाओं द्वारा भी इस आदेश द्वारा निर्धारित शुल्क की सूची अपनी अधिकृत वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा। शुल्क निर्धारित संबंधी प्रश्नगत आदेश का अनुपालन कढ़ाई से सुनिश्चित कराया जाय।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1002(1)/71–4–18–तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग/समाज कल्याण/पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. सचिव, मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया, कोटला रोड, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, मा0 चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, चिकित्सा शिक्षा, विभाग, उ0प्र0 शासन।
5. सचिव, प्रवेश एवं फीस नियमन समिति, बॉसमण्डी चौराहा, लखनऊ।
6. संबंधित प्रबंधक/प्रधानाचार्य, संबंधित मेडिकल कालेज द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एन0एच0 रिजवी)
विशेष सचिव।

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।

संख्याःएमई–3/यू0जी0/2018/2455 लखनऊःदिनांकः 21/6/2018

प्रतिलिपि प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, एम0एस0वाई0 मेडिकल कालेज, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(के0के0गुप्ता)
महानिदेशक।